



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/SER-756/JH/11/2023-SSW

NOTICE

दिनांक: 09.02.2023

श्री एम के झा
सचिव,
झारखंड लोकसेवा आयोग,
circular Road,
Deputy PARA, Ahirtoli,
रांची -834001 (झारखंड)
ई मेल: secretary@jpsc.gov.in

विषय: विज्ञापन सं 05/2019 संयुक्त सहायक अभियंता की भर्ती में झारखंड लोकसेवा आयोग द्वारा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को नियुक्ति ना देने के संबंध में - श्री कुमार रोशन बेदिया (क्रमांक 10509819), जिला - रामगढ़ का ऑनलाइन अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री कुमार रोशन बेदिया से दिनांक 23.11.2022 में एक शिकायत सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आयोग को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबंधित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

(आर. एस. मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
दूरभाष सं.: 24641640

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. KUMAR ROSHAN BEDIA
AT- GHUTUWA, POST- NTS BARKAKANA, PS- PATRATU
Ramgarh (Jharkhand)
829103
Email- jstim.ramgarhcantt@gmail.com , Mob No- 9973295200

2. NIC, NCST (please upload in the website)